न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
156/2002	27/07/2002	21/11/2025

मांगीलाल उर्फ मांग्या पुत्र रामा जाति बैरवा निवासी रामपुरया पटवार हलका बालूपा तह0 पीपल्दा जिला कोटा

प्रार्थी

बनाम

1. श्योनारायण पुत्र लक्ष्मण जाति गुजर
2. बंशी पुत्र लक्ष्मण जाति गुजर
3. गोकूल पुत्र कन्हेयालाल जाति गुजर
4. सूरज पुत्र कन्हेयालाल जाति गुजर
5. धन्नी बाई पुत्री कन्हेयालाल जाति गुजर
6. रामकन्या बाई पुत्री कन्हेयालाल जाति गुजर मृतक

6/1 नागाराम पुत्र
6/2 सत्यनारायण पुत्र

7. गंगाबाई बेवा कन्हेयालाल जाति गुजर मृतक

7/1 गोकूल पुत्र
7/2 सुरजन पुत्र
7/3 मांगीलाल

8. मांगीलाल पुत्र बद्रीलाल जाति गुजर
9. रामजीलाल पुत्र बद्रीलाल जाति गुजर
10. पुष्पा बाई पुत्री बद्रीलाल जाति गुजर
11. रामप्यारी पुत्री बद्रीलाल जाति गुजर
12. नारायणी बेवा बद्रीलाल जाति गुजर मृतक

12/1 रामजीलाल पुत्र
12/2 मांगीलाल पुत्र

13. गुलाब पिता आनन्दीलाल जाति गुजर
14. महावीर पिता रामनाथ जाति गुजर निवासीगण रामपुरिया तह0 पीपल्दा
15. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तह0 पीपल्दा जिला कोटा
16. सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा जर्ये अधिशांषी अभियंता सा0नि0विभाग कोटा

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– मनोज शर्मा एड0 ।
अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– स्वयं।

प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती 136 एलआरएक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम बालूपा तह0 पीपल्दा जिला कोटा में जमाबन्दी सं0त 2033–36 में खेवट खातौनी सं0 नयी 79 पुरानी 80 में खसरा नं0 27 की 27 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित थी। सडक में अवाप्त 2 बीघा 17 बिस्व की गई शेष भूमि 24 बीघा 19 बिस्वा प्रार्थी की शेष रही है। शेष भूमि 24 बीघा 19 बिस्वा का प्रार्थी खातेदार कृषक है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के नये ख0नं0 36 रकबा 2.11है, ख0नं0 40 रकबा 0.10है0, ख0नं0 168 रकबा 0.52है0, कुल किता 3 कुल रकबा 2.73है0 पैमूद किए गए जो बीघा में 17 बीघा बनती है इस प्रकार गत 24 बीघा 19 बिस्वा के मुकाबले बंदोबस्त विभाग द्वारा 7 बीघा 19 बिस्वा भूमि कम दर्ज की गई जबकि प्रार्थी की भूमि 2.73है0 भूमि दर्ज की जानी चाहिए

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

थी। इस प्रकार बंदोबस्त विभाग को प्रार्थी की भूमि में कमी रकबा दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं थी जो अवैध है तथा प्रार्थी को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह कमी रकबे को दुरूस्त करवावे तथा पूर्व रकबे के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अपनी खातेदारी की भूमि को दर्ज करवावे। प्रार्थी ने अप्रार्थी कम 1 व 2 को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 17.04.2002 को दिए लेकिन नोटिस प्राप्ती के बाद भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी का रकबा दुरूस्त नहीं किया। प्रार्थी की भूमि को ख0सं0 45 व ख0नं0 53 में दर्ज कर दिया उपरोक्त खसरा नं0 गत खसरा नं0 27 मि0 से बना है जिसका कुल रकबा ख0नं0 45 रकबा 1.34 व ख0नं0 53 रकबा 2.20है0 कुल 3.54है0 है। उपरोक्त भूमि को अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई है। प्रार्थी को अप्रार्थी गण के नाम गलत रूप से दर्ज की गई भूमि को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी मौके पर 24 बीघा 19 बिस्वा भूमि पर काबिज है। मात्र रिकॉर्ड में गलत अंकन दर्ज किया गया है। प्रार्थी ने रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 17.04.2002 को अप्रार्थीगण को देने के बाद भी व मियाद निकल जाने के बाद भी प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में इन्द्राज दुरूस्त नहीं किया इस कारण माननीय न्यायालय की शरण लेनी पडी है। वाद कारण दिनांक 17.04.2002 को नोटिस देने व उसकी मियाद समाप्त होने के बाद भी इन्द्राज दुरूस्त नहीं करने के कारण उत्पन्न हुआ। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम बालूपा गत तह0 पीपल्दा की गत ख0नं0 27 की 24 बीघा 19 बिस्वा भूमि जिसके नये ख0नं0 36 रकबा 2.11है0, ख0नं0 40 रकबा 0.10है0, ख0नं0 168 रकबा 0.52है कुल 2.73है0 के स्थान पर 3.87है0 दर्ज की जावे व अप्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 45 व 53 के रकबे में भूमि कम दर्ज की जावे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री मनोज शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो अग्रलिखित है। प्रार्थी की ग्राम बालूपा की जमाबन्दी सम्वत 2033–36 के अनुसार खाता सं0 79, ख0नं0 27 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076–76 अनुसार ग्राम बालूपा में ख0नं0 36 रकबा 2.11है0, ख0नं0 40 रकबा 0.10है0, ख0नं0 168 रकबा 0.52है0 है। कुल किता 3 रकबा 2.73है0, भूमि प्रार्थी खातेदारान के नाम दर्ज है। जो गत ख0नं0 27 से बने है। मिलान क्षेत्रफल 2041–60 की संलग्न नकल अनुसार गत ख0नं0 27 की कुछ भूमि वर्तमान ख0नं0 45, 53, 54 में भी गयी है। जो प्रार्थी की भूमि से लगवा है। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार सम्वत 2073–76 अनुसार ग्राम बालूपा की ख0नं0 45 रकबा 1.21है0, किस्म गैर मुमकिन चौकडी दर्ज रिकार्ड है एवं ख0नं0 53 रकबा 4.68है0 गैर मुमकिन टंकी पीडब्ल्यूडी विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी खातेदारान के ख0नं0 45 व 54 पर अतिक्रमण कर अपनी भूमि लगभग 24 या 25 बीघा कर रखी है।

सेंटलमेंट पूर्व साबिक जो हैक्टेर में 3.99है0 होता है जिसके सेंटलमेंट पश्चात नवीन खसरा पैमूद करते समय ख0नं0 36 रकबा 2.11है0, ख0नं0 40 रकबा 0.10है0, ख0नं0 168 रकबा 0.52है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.73 कायम किये गये जो कि साबिक के मुकाबले 1.26है0 कम रकबा दर्ज किया गया है। वादी द्वारा उक्त कमी रकबे की पूर्ति हेतु ख0नं0 45 व ख0नं0 53 में से किये जाने का अनुरोध किया है। जवाब सरकार में तहसीलदार पीपल्दा का अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.08.2003 में ख0नं0 39 रकबा 1.74है0 खातेदारी में से खातेदारान को सुनवाई का अवसर देते हुए 1.12है0 भूमि वादी के खाते दर्ज किए जाने की अनुशंषा की गई है। पुनः पटवार मण्डल बालूपा ने दिनांक 22.05.2024 को पेश रिपोर्ट में बताया कि ग्राम बालूपा के ख0नं0 45 रकबा 1.21है0, किस्म गैर मुमकिन चौकडी एवं ख0नं0 53 रकबा 4.68है0 गैर मुमकिन टंकी पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी खातेदारान के ख0नं0 45 व 54 पर अतिक्रमण कर अपनी भूमि लगभग 24 या 25 बीघा कर रखी है। चूंकि प्रस्तावित ख0नं0 45 रकबा 1.21है0 की किस्म गैर मुमकिन चौकडी एवं ख0नं0 53 रकबा 4.68 की किस्म गैर मुमकिन टंकी है। जो कि राजस्थान काश्तकारी

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

अधिनियम 1955 की धारा 16 के बिन्दु संख्या 6 के तहत प्रतिवन्धित श्रेणी में आता है। प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि कृषि कार्य हेतु अनुगत नहीं होने से ऐसी भूमि कृषि कार्य हेतु नहीं दी जा सकती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा